टेंडर फिक्सिंग का गेम, निविदाओं में रेट को लेकर मनमानी

नवभारत न्यूज

पन्ना, 02 अगस्त। निर्माण विभागों में जहां टेण्डर फिक्सिंग का खेल होता था वहां निविदाओं की दरों में बड़ा खेल किया जाता था। इसी गड़बड़ी पर अंकुश लगाने के लिये निर्माण विभागों में अतिरिक्त परफारमेन्स गारंटी की राशि जमा करवाने के निर्देश दिये गये थे।

किन्तु इस आदेश का संबंधित विभागों में कितनी गंभीरता से पालन किया गया इसकी समीक्षा अभी तक नहीं हो पाई। इसलिये निर्माण विभागों में जारी आदेशों को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। जारी आदेशो में कहा गया था कि जिन निविदाओं में 15 प्रतिशत से कम दर आती है वहां परफारमेंस गारंटी के साथ ही अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी की राशि भी जमा करवाई जाय। किन्तु आज आवश्यकता इस बात की है कि संबंधित निर्माण विभागों में जो टेण्डर हुये उनका परीक्षण किया जाय। इस बात की जांच होनी चाहिये कि जिन टेण्डरों में 40-45 प्रतिशत कम दरों के आधर पर टेण्डर स्वीकृत किये गये उनमें अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी की राशि क्या जमा करवाई गई। यदि नहीं जमा करवाई गई तो इसके लिये दोषी कौन है? इसके साथ ही जिन कार्यों की निविदा कम दरों पर स्वीकृत की गई उन कार्यों की गुणवत्ता की भी जांच की जानी चाहिये ताकि यह पता चल सके कि कम दरों के आधार पर ठेकेदारों ने कितनी गुणवत्ता के साथ काम किया। कार्य वास्तव मे किये भी गये अथवा नाममात्र के कार्य करके भुगतान प्राप्त किया गया है।

दिखनी चाहिये कार्यों में गुणवत्ता:- यह भी सही है कि जहां कसावट होती है वहां गुणवत्ता भी दिखाई देती है। किन्तु जहां कसावट नहीं होती वहां कार्य गुणवत्ता भी दिखाई नहीं देती। ऐसे कई कार्य हैं जहां गुणवत्ता का अभाव देखा जाता है। लोक निर्माण की सड़कों, भवनों के निर्माण को ही देखा जाय तो कई कार्यों मे गुणवत्ता का अभाव देखा जाता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़को का भी यही हाल अब चल रहा है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों में कई जगह चलने लायक स्थिति नहीं है। वहीं अन्य विभागों में भी यही सब हो रहा है। महिला बाल विकास में कई आगनवाड़ी भवन आज तक अधूरे पड़े हुये हैं। राशि खर्च हो चुकी है किन्तु दीवारें पूर्ण नहीं हो पाई।

दीवारें जहां पूरी हो गई वहां छत के लिये राशि नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। यहां चार साल में यदि कोई कार्य पूरा नहीं होता तो उसे पोर्टल से विलोपित करवाने का खेल शुरू हो जाता है ताकि वित्तीय अनियमितता का अंश पोर्टल में भी नहीं दिखे। आरईएस के कार्यों की पूर्णता को लेकर भी यही चलता है। जहां शुभारंभ तो हो जाता है। किन्तु पूर्णता के लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं होती। इसके पीछे एजेंसियों का बड़ा खेल रहता है। जहां टेण्डर प्रक्रिया अपनाई जाती है वहां रेट से लेकर कई तरह के खेल होते हैं। इसलिये कम दरों के लिये जो निर्देश जारी किये गये थे उनकी समीक्षा होनी चाहिये।

कम दरों के कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाते थे ठेकेदार

कई कार्यों में इस तरह की स्थितियां पैदा होती थी जहां अत्यन्त कम दरों पर कार्य स्वीकृत होने के बाद उन कार्यों को ठेकेदार पूरा नहीं कर पाते थे। लिहाजा ऐसे कार्य लंबे समय तक अपूर्ण की स्थति में पड़ रहते थे अथवा वे प्रारंभ ही नहीं हो पाते थे। इससे विकास कार्यों की पूर्णता से लेकर गुणवत्ता में भी सवाल उठते थे। यही कारण है कि निर्माण विभागों में टेण्डर के दौरान प्रतिस्पर्धा में अधिक कम दर आने की स्थिति में परफारमेंस गारंटी के अतिरिक्त राशि भी जमा करवाने के निर्देश जारी किये गये थे। किन्तु इस आदेश का कितना पालन हुआ इसकी जानकारी अभी तक किसी भी विभाग ने सार्वजनिक नही किया।

मॉनीटरिंग के नाम पर खानापूर्ति

कहने के लिये निर्माण विभागों में सभी कार्यों की मानीटरिंग के लिये निर्देश दिये जाते हैं। संबंधित अधिकारियों की वरिष्ठता के आधार पर उनके निरीक्षण के लक्ष्य भी निर्धारित किये जाते हैं। किन्तु ऐसा देखा जाता है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण नाम मात्र ही होते हैं। जहां विशेष कोई निर्देश शासन की तरफसे होते हैं वहीं पर निरीक्षण होते हैं। अन्यथा निरीक्षण में भी मनमानी एवं लापरवाही की जाती है। इसके पीछे मैनेजमेन्ट का ही खेल चलता है।

पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम ने चीतल के सात शिकारियों को दबोचा

मांस और हथियार बरामद

नवभारत न्यूज

पन्ना, 02 अगस्त। पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन को वन्यजीवों के अवैध शिकार के खिलाफचलाए जा रहे अभियान में एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। परिक्षेत्र चंद्रनगर के अंतर्गत बीती 16 और 17 जुलाई की मध्यरात्रि को मुस्तैद वन अमले ने साहस का परिचय देते हुए चीतल का शिकार करने वाले एक गिरोह के सदस्यों को धर दबोंचा।

घने अंधेरे और मूसलाधार बारिश के बीच निहत्थे फील्ड स्टाफ ने अपनी जान की बाजी लगाकर हथियारबंद शिकारियों की घेराबंदी की और मौके से एक आरोपी को रंगे हाथों धर दबोचा, जबकि बाकी आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे थे। पार्क प्रबंधन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष सर्च टीमों का गठन किया और 31 जुलाई तक लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश देकर गिरोह के सभी सात फरार आरोपियों को पृथक-पृथक स्थानों से सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर पकड़े गए आरोपी की पहचान ग्राम राजगढ़ निवासी साठ वर्षीय सिम्मा आदिवासी के रूप में हुई थी, जिसके पास से तलाशी के दौरान एक बोरी में छिपाकर रखा गया चीतल हिरण का मांस और खाल बरामद की गई थी। इसके साथ ही वन विभाग की टीम ने मौके से शिकार में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और धारदार चाकू भी जब्त किया था। प्राथमिक पूछताछ के बाद पार्क प्रबंधन ने चंद्रनगर टीम के साथ मिलकर फरार शिकारियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सघन अभियान छेड़ा। प्रथम चरण की कार्रवाई में मुख्य आरोपी सिम्मा आदिवासी सहित तीन शिकारियों को गिरफ्तार कर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया था, जहां से उन्हें सीधे जिला जेल भेज दिया गया। इसके बाद भी शेष तीन फरार आरोपियों की तलाश में पार्क प्रबंधन का सर्च ऑपरेशन थमा नहीं और टीमें लगातार जंगलों और संदिग्ध ठिकानों पर दबिश देती रहीं। कड़ी मशक्कत के बाद 31 जुलाई तक बाकी बचे तीनों आरोपियों को भी अलग-अलग जगहों से दबोच लिया गया।

इस पूरे मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए सभी सात आरोपियों में तिलकराज उर्फ धुट्टन सिंह यादव निवासी बरबसपुरा, सिम्मा आदिवासी, देवी सिंह, पंचू आदिवासी, बालकिशन आदिवासी और हीरा लाल हरिजन सभी निवासी ग्राम राजगढ़ के साथ-साथ चंद्रनगर निवासी रामजीलाल उर्फ अमर सिंह लोधी शामिल हैं। इन सभी आरोपियों को न्यायालय राजनगर के समक्ष पेश कर अदालती आदेशानुसार छतरपुर जिला जेल भेज दिया गया है।

नवीन सर्वसुविधायुक्त एसडीएम कार्यालय बनकर तैयार

नवभारत न्यूज

अजयगढ़, 02 अगस्त। अजयगढ का एसडीएम कार्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जो तहसील कार्यालय के ही पीछे निर्मित हुआ है जो सर्वसुविधायुक्त एवं से सुसज्जित है 15 मी गहराई 25 मीटर चौड़ाई की चारों तरफसे बाउंड्री बाल बनाकर कार्यालय को सुरक्षित किया गया है।

कार्यालय में पार्किंग की थी व्यवस्था की गई है नवीन कार्यालय के पहले एसडीएम आलोक मार्को होंगे। तहसीलदार सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पहले तहसील कार्यालय में ही एसडीएम कार्यालय अजयगढ़ तहसीलदार का कार्यालय एवं वीरा धरमपुर मंडल के चारों कार्यालय एक साथ एक ही भवन में संचालित होते थे शासन द्वारा एसडीएम कार्यालय का अलग से निर्माण करवाया गया है जो निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है अब शीघ्र ही उसका उद्घाटन किया जाएगा तहसीलदार सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मुख्य सड़क से कार्यालय तक की प्रस्तावित सड़क को पटवारी हल्का से कहकर जो पूर्व से चिन्हित है नापतोल करके सड़क बनाई जाएगी जो सड़क तहसील कार्यालय के वगल से पूर्व की ओर से महाविद्यालय के भवन के पीछे से सीधे एसडीएम कार्यालय के लिए मुख्य सड़क से सड़क प्रस्तावित की गई है। अभी तक तहसील कार्यालय में किसने की अत्यधिक भीड़ रहती थी क्योंकि एसडीएम कार्यालय के किसान और अजयगढ़ बीरा धरमपुर मंडल के किसान एक साथ एक ही भवन में रहते थे अब एसडीएम कार्यालय अलग से हो जाने के कारण एसडीएम कार्यालय के किसान अपने कार्यो के लिये वहां जायेंगे जिससे भीड़ में कमी आयेगी।

अनियंत्रित होकर पलटी बाइक, 40 वर्षीय युवक की मौत, साथी घायल

नवभारत न्यूज

पन्ना, 02 अगस्त। अजयगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत खंदिया हनुमान मंदिर के पास शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार दोपहिया वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

इस हादसे में बाइक सवार एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, पाठा निवासी कालू कुशवाहा पिता लल्लू कुशवाहा, उम्र करीब 40 वर्ष अपने एक साथी के साथ दोपहिया वाहन पर सवार होकर सिंहपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान जैसे ही वे खंदिया हनुमान मंदिर के समीप पहुंचे, वहां मोड़ पर अज्ञात कारणों से उनका वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और सीधे दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे में कालू कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं उनके साथी को भी काफी चोटें आईं। घटना की भनक लगते ही अजयगढ़ थाना पुलिस एवं डायल-112 मौके पर पहुंचे। राहगीरों और ग्रामीणों की सहायता से घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ ले जाया गया। अस्पताल में कालू कुशवाहा को डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

वहीं इस संबंध में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला वाहन के अनियंत्रित होने के कारण हादसा होने का लग रहा है, हालांकि दुर्घटना की असली वजह क्या थी, इसका खुलासा पूरी जांच होने के बाद ही हो सकेगा।

जल जीवन योजना जिले में फिसड्डी साबित, नहीं मिल रहा योजना का अपेक्षित लाभ

नवभारत न्यूज

पन्ना, 02 अगस्त। शासन की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना की प्रगति जिले में आरंभ से ही काफी पिछड़ी हुई है। दो सालों से चल रही योजना में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी अभी तक लोग अपने घरों में नल से पानी मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

मालूम रहे कि जिले में लाखों घरों में नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। विभागीय लापरवाही एवं अमले की कमी के चलते योजना की प्रगति प्रभावित है। संविदाकारों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। जब कार्य पूर्ण होने की या प्रगति बढ़ने की जानकारी मिलती है उस दौरान मौके पर जाकर मूल्यांकन एवं सत्यापन की कार्यवाई की जाती है। उधर जानकारों का कहना है कि पीएचई विभाग के अधिकारियों की कमीशनखोरी के चलते ही जिले में जल जीवन मिशन योजना दम तोड़ रही है। प्रदेश के अन्य जिलों में जहां योजना की प्रगति लगातार बढ़ रही है। वहीं पन्ना जिले में करोड़ों का बजट खर्च होने के बाद भी प्रगति ठीक नहीं है। बताया गया है कि जिले में ग्रामीण नल जल योजनाओं की प्रगति कुछ संविदाकारों की मनमानी के चलते ही नहीं हो पा रही है। जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों में काफी समय से कार्य अधूरा पड़ा हुआ है।

यहां पर पाईप लाईन बिछाने का कार्य भी संविदाकार द्वारा आधा- अधूरा किया गया है। जिसके चलते नल कनेक्शन कब तक होंगे इसको लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

बताया गया है कि ग्रामीण नल जल योजनाओं का कार्य शुरू होने के बाद से जिले में जो हैंडपंप स्थापित किए गए थे उनके संधारण का कार्य भी सही तरीके से नहीं हो रहा है। पीएचई के हैंडपंपों में संधारण को लेकर सबसे ज्यादा लापरवाही दिखाई जा रही है। कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां के लोग पानी के लिए पूरी तरह से सरकारी हैंडपंपों पर ही निर्भर हैं।

गर्मी के दिनों में जल संकट की स्थिति बढ़ जाती है। उस दौरान अन्य जल स्त्रोतों के सूख जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पूरी तरह से शासकीय हैंडपंपों पर ही आश्रित हो जाते हैं। ग्राम पंचायतों में लगाए गए हैंडपंपों के देखभाल की जिम्मेदारी पंचायत स्तर की होती है। इसमें भी कई तरह की शिकायतें बनी हुई हैं।

संविदाकारों की मनमानी से कार्य हो रहे प्रभावित

जिले में जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्राम पंचायतों में नल जल योजना के जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से संविदाकारों की है। यह अवश्य है कि पीएचई विभाग के अधिकारियों एवं इंजीनियरों को भी समय-समय पर मौके पर पहुचकर चल रहे कार्यों का जायजा लेना चाहिए। देखा यह जा रहा है कि जिन क्षेत्रों में ग्रामीण नल जल योजना के कार्य चल रहे हैं वहां पीएचई विभाग के इंजीनियर मौके पर मूल्यांकन के दौरान ही जाते हैं। लिहाजा संविदाकारों द्वारा मौके पर काफी घटिया सामानों का उपयोग किया जा रहा है। अधिकांश स्थानों में गुणवत्तायुक्त पाईप लाईन डालने की बजाय काफी हल्के पाईप डाले जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि पाईप लाईन काफी हल्की होने से वह ज्यादा समय तक उपयोग नहीं आ सकेगी। कुछ सालों के अंदर ही पाईप लाईनों के क्षतिग्रस्त होने से समूचे क्षेत्र में नल जल योजना की सप्लाई प्रभावित होगी। ग्रामीणों का भी कहना है कि कार्य के दौरान काफी हल्की सामग्री उपयोग में लाई जा रही है। जिसको लेकर स्थानीय स्तर पर शिकायत की जाती है। लेकिन संविदाकार के नुमाइंदे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते।

पदोन्नति पर हुआ बड़ा खेल, कई पात्र कर्मचारी हुए लाभ से वंचित

नवभारत न्यूज

पन्ना, 01 अगस्त। कई वर्षों के बाद सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के पदोन्नति का रास्ता साफ हुआ और प्रक्रिया शुरू हुई। पदोन्नति समितियों गठन हुआ और प्रक्रिया को पूरा करने की कार्रवाई हुई। पात्र कर्मचारी अधिकारियों की सूचियां तैयार हुई और आदेश जारी हुए। किन्तु कई विभागों में अब यह भी आरोप लग रहे हैं कि कई पात्र कर्मचारियों को पात्र होने के बाद भी पदोन्नति सूची में शामिल ही नहीं किया गया।

यहां तक कि उनके अभ्यावेदनों पर भी विचार नहीं किया। अनंतिम सूची को ही अंतिम सूची मान्य कर लिया गया। यहां तक कर्मचारियों वे विकल्प भी नहीं लिया गया और मनचाहे स्थान पर पदस्थापना कर दी गई। जिन कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि विगत वर्षों में समाप्त हो जानी चाहिये थी और उनके प्रकरणों का निराकरण करते हुये उनके नामों पर भी विचार होना चाहिये था। ऐसे कर्मचारियों के बारे में पदोन्नति के लिये कोई विचार ही नहीं किया गया। लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के पदीय संरचना एवं उनके वेतनमान के अनुसार वरिष्ठता सूची का प्रकाशन ही नहीं किया गया। अपनी पदोन्नति के संबंध में कुछ कर्मचारियों ने समिति के समक्ष अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया था। जिसमें उनके द्वारा अपनी पात्रता को भी बताया था। किन्तु उनके संबंध में कोई विचार ही नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि पदोन्नति की प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर विसंगतियां हुई जिससे अब ऐसे लोग कोर्ट की शरण में भी जा सकते हैं।

अन्य विभागों में भी उठ रहे सवाल

इसी तरह से अन्य विभागों में भी पदोन्नतियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जहां विसंगतियां प्रकाश में आई हैं वहां के कर्मचारियों में प्रक्रिया को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। हर पात्र कर्मचारी जहां अपने पदोन्नति को लेकर इंतजार में थे और वे जानते थे कि उसकी पात्रता बनती है तो उसे वंचित करने पर सवाल तो उठेंगे। सवाल यह भी हैं कि जहां जिम्मेदार अधिकारी किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित होते हैं वहां इस तरह की विसंगतियां जानबूझकर की जाती हैं। किन्तु उससे शासन की छवि पर असर पड़ता है। किन्तु ऐसे अधिकारियों पर उसका असर इसलिये नहीं होता क्योंकि वे अपने पदों के अहंकार में डूबे रहते हैं। आगे चलकर इस तरह के मामले फिर कर्मचारी संगठनों के एजेण्डे में भी शामिल हो जाते हैं।

राशन दुकान के रिकॉर्ड में 100 क्विंटल राशन दर्ज

नवभारत न्यूज

पन्ना, 02 अगस्त। पन्ना जिले में लंबे समय से जिला खाद्य अधिकारी का पद खाली पड़ा हुआ है। जिले के दो चर्चित कनिष्ठ खाद्य अधिकारी श्री त्रिपाठी एवं कल्लू पटेल भी है जिनके दरोमदार पर जिले का खाद्य विभाग टिका हुआ है और उनकी कार्यप्रणाली किसी से छिपी नही है।

यही कारण है कि पूरे जिले की अधिकांश राशन दुकानों में कालाबाजारी का दौर चल रहा है। चूंकि जहां लोग जागरूक है वहां शिकायत होती है तो फर्जीवाड़े के मामलें सामनें आ जाते है लेकिन जहां कोई शिकायत नही करते वहां इसी तरह जंगलराज चलता रहता है और उचित मूल्य की दुकानों से लोगो को अपेक्षित लाभ नही मिल पा रहा है। ऐक ऐसा ही मामला दूरस्थ ग्राम सलैया फेरनसिंह की उचित मूल्य की दुकान में प्रकाश में आया है। ऑनलाइन रिकॉर्ड में जहां दुकान पर बड़ी मात्रा में गेहूं और चावल का स्टॉक दर्ज है, वहीं मौके पर निरीक्षण के दौरान मात्र दो क्विंटल खाद्यान्न पाया गया। मामले में ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफकार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार, ऑनलाइन मशीन में आंगनवाड़ी के लिए लगभग 8 क्विंटल 78 किलो गेहूं और 3 क्विंटल 35 किलो चावल, मिड-डे मील (एमडीएम) के लिए 15 क्विंटल 29 किलो गेहूं और 3 क्विंटल 35 किलो चावल दर्ज बताया जा रहा है। इसके अलावा पात्र हितग्राहियों के लिए लगभग 63 क्विंटल से अधिक गेहूं और 15 क्विंटल 29 किलो चावल का स्टॉक दर्ज है। इस हिसाब से दुकान में करीब 100 क्विंटल से अधिक राशन उपलब्ध होना चाहिए था। वहीं, मौके पर जांच के दौरान दुकान में मात्र लगभग एक क्विंटल गेहूं और एक क्विंटल चावल ही मिला। मामले में यह भी जानकारी सामने आई है कि पूर्व में खड़कारी क्षेत्र की मेघा चंदेल द्वारा इस दुकान का लगभग 200 क्विंटल से अधिक स्टॉक मशीन में शून्य (जीरो स्टॉक) किया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि स्टॉक शून्य किया गया था तो वर्तमान में मशीन में दर्ज राशन और वास्तविक उपलब्ध स्टॉक में इतना बड़ा अंतर कैसे सामने आया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि दुकान विक्रेता अरुण खरे के कार्यकाल में भी राशन वितरण को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पात्र हितग्राहियों को समय पर राशन नहीं मिल पा रहा है।

मानव भ्रूण के दफनाने के मामलें में चर्चित मेस्कॉट हॉस्पिटल की जांच शुरू

नवभारत न्यूज

पन्ना, 02 अगस्त। किलकिला नदी के पास जमीन में दफ्न मिले मानव भ्रूण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हमेशा अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहने वाला निजी मेस्कॉट हॉस्पिटल अविकसित भ्रूण के दफ्नाने के मामलें में फिर से सुर्खियों में है जिसकी जांच शुरू हो गई है।

पुलिस विभाग की सूचना पर शनिवार को जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम मेस्कॉट हॉस्पिटल पहुंची और अस्पताल के विभिन्न अभिलेखों, व्यवस्थाओं तथा आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की। जांच के दौरान अस्पताल प्रबंधन से कई बिंदुओं पर जानकारी ली गई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा, जांच रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

जांच दल में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनके गुप्ता, सहायक अस्पताल प्रबंधक दिव्या नागवंशी, प्रभारी औषधि भंडार राजेश तिवारी, नर्सिंग अधिकारी प्रियंका शर्मा तथा लिपिक विकास श्रीवास्तव शामिल रहे। टीम ने प्रसूति संबंधी अभिलेखों, मरीजों के रिकॉर्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का अवलोकन किया। पुलिस द्वारा जुटाए जा रहे साक्ष्यों के साथ स्वास्थ्य विभाग की जांच को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया गया कि यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि भ्रूण का निस्तारण निर्धारित नियमों के विपरीत किया गया या किसी प्रकार की अवैध गतिविधि हुई है, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध पीसीएनडीटी अधिनियम, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम तथा बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जा सकती है।

पूरे मामलें पर एक नजर

गौरतलब है कि 26 जुलाई को कोतवाली पुलिस ने पुराने पन्ना क्षेत्र में किलकिला नदी के पास जमीन में दफ्न एक अविकसित मानव भ्रूण बरामद किया था। यह कार्रवाई नगर के स्वीपर राकेश की निशानदेही पर की गई थी। राकेश ने पुलिस को बताया था कि 21 जुलाई को सुबह मेस्कॉट हॉस्पिटल का एक कर्मचारी आया और उसने मेडिकल वेस्ट बताकर एक थैला दूर ले जाकर गाड़ने के लिए दिया था।

निर्माण विभागों का ये बड़ा खेल, आखिर कहां जाती है अवशेष राशि?

नवभारत न्यूज

पन्ना, 02 अगस्त। वित्तीय नियमों के अनुसार निर्माण कार्यों के लिये जो राशि आवंटित की जाती है उसे निर्धारित सीमा के अनुसार व्यय किया जाता है। अधिशेष राशि मूल विभाग को वापस की जानी चाहिये। किन्तु लोक निर्माण एवं अन्य प्रमुख निर्माण विभागों द्वारा अधिशेष राशि मूल विभागों को वापस नहीं की जाती है।

इस तरह की स्थितियां जिन निर्माण विभागों में है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लोक निर्माण विभाग एवं अन्य परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों में इस तरह की प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर अनियमितता की जा रही है। यह भी बताया जाता है कि सक्षम प्राधिकारियों की अनुमति के बिना स्वीकृत सीमा से अधिक राशि व्यय नहीं की जानी चाहिये। किन्तु लोक निर्माण विभाग में कई कार्यों में स्वीकृत सीमा से अधिक राशि भी व्यय की जाती है। ज्ञात हो कि कई विभाग ऐसे होते हैं जिनके पास निर्माण से संबंधित कोई तकनीकी विभाग या अमला नहीं होता। लिहाजा ऐसे विभागों के कार्य लोक निर्माण एवं अन्य निर्माण विभागों के माध्यम से करवाये जाते हैं। उन विभागों को मांग के अनुसार राशि जारी कर दी जाती है। उसी के आधार पर कार्य स्वीकृत होते हैं। किन्तु स्वीकृत अनुबंधों एवं कार्य की लागत के अनुसार राशि का व्यय होने के बाद शेष राशि संबंधित मूल विभागों को वापस किया जाना चाहिये। किन्तु लोक निर्माण विभाग द्वारा इस तरह की शेष बची राशि को कभी वापस नहीं किया जाता है। संबंधित विभागों को भी यह पता नहीं होता कि शेष राशि के वापसी की उन्हें मांग करनी चाहिये किन्तु वे भी मांग नहीं करते। इसलिये शेष बची राशि का या तो विभागों में पड़ी रहती है अथवा उसका किसी न किसी तरीके से दुरुपयोग किया जाता है।

पन्ना में बंदरों का हमला, 13 साल की बच्ची अस्पताल में भर्ती, रहवासी परेशान

नवभारत न्यूज

पन्ना, 02 अगस्त। मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में बंदरों का बढ़ता खौफ स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। पुराना पन्ना इलाके में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां शौच के लिए गई 13 वर्षीय देवकी कोंदर पर बंदरों के एक झुंड ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया।

इस हमले में बच्ची के सिर, पेट और हाथ पर गहरे घाव आए हैं। बच्ची की चीख-पुकार सुनकर दौड़े आस-पास के लोगों ने बमुश्किल उसे बंदरों के चंगुल से छुड़ाया।

गंभीर रूप से घायल और दहशत में डूबी बच्ची को तुरंत जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां फिलहाल उसका उपचार जारी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, शहर के पुराना पन्ना, धाम मोहल्ला और इंद्रपुरी कॉलोनी जैसे इलाके इन दिनों बंदरों के आतंक से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हालात इतने खराब हैं कि महिलाओं ने डर के मारे छतों पर जाना बंद कर दिया है और घरों के बाहर लगे पेड़-पौधे भी सुरक्षित नहीं बचे हैं। अचानक झुंड में आकर तबाही मचाने वाले इन बंदरों के हमले में अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों की लगातार हो रही कटाई के कारण इन वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया है, जिसकी वजह से वे भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों की तरफरुख कर रहे हैं।

आबादी वाले क्षेत्रों में इनकी तेजी से बढ़ती संख्या ने स्थानीय प्रशासन और नागरिकों की चिंता को और बढ़ा दिया है। देखना यह है कि वन विभाग द्वारा इन बंदरों के आंतक से लोगो को कब निजात दिलाने में सफलता मिलती है।